न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	**रूपा गुप्ता (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
जमानत आवेदन संख्या	:	406/2026
सीएनआर नम्बर	:	RJSK010017692026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	200/2026
अन्तर्गत धारा	:	318 (2), 318 (3), 318 (4), 316 (2), 319 (2), 112 (2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट
पुलिस थाना	:	सदर सीकर

विकास पुत्र भवानी सिंह उम्र 23 साल निवासी बड का चारणवास पुलिस थाना दांतारामगढ़ जिला सीकर

... .प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सीकर

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थित–

1. श्री हरीश कुमार शर्मा–प्रथम अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री सांवरमल बिजारणियां लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक : 16.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त विकास की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत जमानत का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गई।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आपराधिक गैंग का सदस्य होने का झूठा आरोप लगाया है। प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी गैंग का सदस्य नहीं होकर, एक विद्यार्थी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है, न ही कोई फ्रॉड किया है व न ही किसी के बैंक खाते से रूपये प्राप्त किये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार का अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

''प्रामाणिक दस्तावेज''

3. योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।

4. उपरोक्त पर विचार किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. केस डायरी के अनुसार दिनांक 02.06.2026 को दौराने गश्त परिवादी बाबूलाल हैड कानि. 911 पुलिस थाना सदर सीकर को जरिये मुखबीर ईत्तला मिली कि एक स्कोर्पियो गाड़ी नंबर आरजे 07 यूसी 1507 में चार व्यक्ति जो बाडलवास आए हुए हैं, जो कि किराये पर खाते लेकर ऑनलाईन फ्रॉड कर खाताधारों से बैंक से नकदी रूपये निकलवाकर लेते है, उक्त लोगों ने आपराधिक कार्य के लिए एक आपराधिक सिंडिकेंट/गैंग बना रखी है, जिस पर बाबूलाल हैड कानि. 911 द्वारा ईत्तला से जाप्ता को अवगत करवाकर बाडलवास पहुंचे, जहां पर बतायेनुसार एक स्कोर्पियो गाड़ी नंबर आरजे 07 यूसी 1507 में चार व्यक्ति बैठे दिखायी दिये, जो कि पुलिस वाहन को देखकर गाड़ी से उतरकर भागने लगे, जिन्हें पकड़ा जाकर नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम अशोक कुमार पुत्र तनसुखराम, संदीप कुमार पुत्र तनसुखराम, अतुल सिंह पुत्र जालीम सिंह व विकास पुत्र भवानी सिंह होना बताया, जिन्हें भागने का कारण पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया।

परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में आगे यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि तत्पश्चात अशोक कुमार को चैक करने पर उसके पास एक सिम मय मोबाईल, मोबाईल के पीछे कवर में तीन सिम तथा खाता धारक राजेश कुमार की एक पासबुक, अतुल के पास एक सिम मय मोबाईल, खाताधारक श्रीमति फिरदोस बानो की पास बुक, संदीप कुमार के पास एक मोबाईल मय सिम, दो अन्य लोगों के एटीएम कार्ड तथा विकास के पास एक मोबाईल मय सिम, एक एटीएम कार्ड व गाड़ी को चैक करने पर संदीप कुमार, अशोक कुमार का आधार कार्ड, विनय कुमार का ड्राईविंग लाईसेंस, एक केवाईसी डिक्लेरेश फॉर्म, योगेश कुमार की दो पेनड्राईव व आधार कार्ड की फोटो प्रति व गाड़ी की पीछे की सीट पर एक बॉक्स में नो अलग–अलग सिम मिली। उक्त सामान को पृथक पृथक लिफाफा में डालकर जांच के उद्देश्य से चिट चस्पा किये गये। उक्त चारों व्यक्तियों को उक्त दस्तावेज व सिम के बारे में पूछने पर उक्त व्यक्ति आक्रोशित होकर मरने मारने पर उतारू हो गये, जिस पर उक्त व्यक्तियों को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान मौके पर एक विकलांग व्यक्ति

राजेन्द्र कुमार आया, जिसने बताया कि उक्त चारों व्यक्तियों ने उसका लॉन के नाम पर कोटक बैंक में खाता खुलवाकर खाते की पासबुक व समस्त दस्तावेज अपने पास रख लिये, इन्होंने दिनांक 29.05.2026 को उसके दूसरे पीएनबी बैंक खाते में ₹ 2,71,333 फ्रॉड के डलवा दिये, जो आज लेने आये हैं। उक्त लोगों ने उसके गांव के कई और लोगों के भी लॉन के नाम पर कोटक बैंक में खाता खुलवाया है, उन खातों को साईबर फ्रॉड करने के काम में ले रहे हैं...इत्यादि। उक्त पर पुलिस थाना सदर सीकर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200/2026 अन्तर्गत धारा 318(2), 318(3), 318(4), 316(2), 319(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता,2023 व धारा 66 डी आईटी एक्ट के अपराधों में दर्ज की गई थी,बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 03.06.2026 को गिरफ्तार किया गया, तब से वह अभिरक्षा में है।

6. इस प्रकार तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक छोटा संगठित गिरोह बनाकर लोगों को लॉन का झांसा देकर उनसे दस्तावेज प्राप्त कर उनके नाम पर बैंक में खाता खुलवाकर बिना खाताधारकों की सहमति के बैंक खातों का प्रयोग कर रूपये डालने व निकालने का आरोप है। प्रकरण में अनुसंधान के मुताबिक पीड़ित राजेन्द्र कुमार के बैंक खाते से ₹ 47,26,021, पीड़ित मूलचंद के बैंक खाते से ₹ 7,20,349 व पीड़ित गोपाल के बैंक खाते से ₹ 3,74,64,829 बिना उनकी जानकारी के उनके बैंक खातों में डालकर निकाले गये हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार के अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। प्रकरण में अन्वेषण निरन्तर जारी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त विकास की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश,
सीकर (राजस्थान)

''प्रामाणिक दस्तावेज''

8. आदेश आज दिनांक 16.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश,
सीकर (राजस्थान)

''प्रामाणिक दस्तावेज''

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.06.16 18:22:38 IST